

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक प.20(3)परि/लेखा/विविध/2019-20/02880 / 1115-

दिनांक 24.01.2024

आदेश

25-1-2024

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(3)वित्त अंकेक्षण/2017 दिनांक 19.07.2022, 19.09.2019 तथा 08.06.2020 के अनुसार जनलेखा समिति की सिफारिशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने के उद्देश्य से समुचित पर्यवेक्षण हेतु परिवहन विभाग से प्रशासनिक विभाग स्तर पर श्री सोहन लाल मीना, उप ज्ञासन सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री सोहन लाल मीना के कार्यालय के फोन नंबर 0141-2850627 तथा मोबाईल नंबर 9460191068 है। इसी के अनुक्रम में विभागाध्यक्ष स्तर पर जनलेखा समिति की सिफारिशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के समुचित पर्यवेक्षण हेतु श्रीमती रंजीता गौतम, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) परिवहन विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्रीमती रंजीता गौतम के कार्यालय के फोन नंबर 0141-2744175 तथा मोबाईल नंबर 9414093324 है।

उक्त नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व वे होंगे जो समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं तथा जिनका सारांश निम्नानुसार है-

- सीएजी प्रतिवेदनों में शामिल विभाग से संबंधित अनुच्छेदों की अनुपालना रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित करवाना।
- सीएजी अनुच्छेदों की अनुपालना रिपोर्टों पर महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी प्राप्त कर विभागीय पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में जनलेखा समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चित करना।
- जनलेखा समिति की सिफारिशों पर विभागीय पालना/क्रियान्विति विषयक रिपोर्ट तैयार करवाना तथा उसकी महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा करवाकर जनलेखा समिति को निर्धारित समयावधि में प्रेषित होना सुनिश्चित करवाना।
- जनलेखा समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों तथा जनलेखा समिति के समक्ष विभाग द्वारा दिए गए आश्वासनों की पालना करवाना तथा इसकी मॉनिटरिंग करना।

नोडल अधिकारी को विभाग की सभी शाखाओं के प्रगारी अधिकारी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।


(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक: प.20(3)परि/लेखा/विविध/2019-20/2880

1116 - 1123

दिनांक 24.01.2024

25-1-2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, जयपुर।
5. श्री सोहन लाल मीना, उप शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. श्रीमती रंजीता गौतम, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. समस्त शाखा प्रभारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
8. नोडल अधिकारी वेबसाइट, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (मुख्यालय) को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त मुख्य सचिव